# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

विविध (अपील) वाद संख्या– 06/2017–18

## –:आदेश:–

... 14–फारम सं0 563

| ...श की ...म संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ |
|---|---|---|
| 3/9/19 | प्रस्तुत वाद की कार्रवाई अपीलार्थी लक्ष्मण सिंह, पिता स्व0 राम बालक सिंह, सा0 कुँवरसिंह कॉलोनी, चास, थाना चास, जिला बोकारो द्वारा अंचल अधिकारी, चास के विविध वाद सं0 37/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 09.06.2017 के विरूद्ध अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित आवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया है। तत्पश्चात् इस न्यायालय द्वारा आवेदन को स्वीकृत करते हुए उभय पक्षों को सूचना निर्गत कर सुनवाई प्रारंभ की गई। | |

| विवादित भूमि | | | | |
|---|---|---|---|---|
| मौजा | थाना नं0 | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | रकवा |
| जामगोड़िया | 53 | 52 | 72 | 1.44ए0 |

अपीलार्थी अपने आवेदन एवं लिखित जवाब में उल्लेख किये है कि अंचल अधिकारी, चास के द्वारा विविध वाद सं0 37/2016–17 में पारित आदेश नियम के प्रतिकुल एवं क्षेत्राधिकार से बाहर है। अंचल अधिकारी, चास को लम्बी अवधी से चली आ रही जमाबंदी को रद्द या स्थगित करने का अधिकार नहीं है। इनके द्वारा उल्लेंखित किया गया है कि मौजा जामगोड़िया, खाता सं0 52, प्लॉट नं0 72, रकवा 1.94ए0 भूमि गत सर्वे खतियान में शशी भूषण मिश्र एवं अन्य के नाम से दर्ज था। शशी भूषण मिश्र एवं उनके पुत्र विधु भुषण मिश्र द्वारा रकवा 50½डी0 भूमि बल्लू प्रसाद यादव को 15.01.1941 से बिक्री किया। ज्योतिन्द्र नाथ मिश्र ने जोतपट्टा सं0 13735 दिनांक 16.11.1943 से रकवा 1.94ए0 भूमि बाबू लाल महतो को बिक्री किया। बाबूलाल महतो के दो पुत्र विपन महतो एवं डिप्ती महतो हुए, जिन्होने केवाला सं0 16231 दिनांक 11.11.1965 को रूदन महतानी को रकवा 49½ डी0 भूमि बिक्री किया। रूदन महतानी के मृत्योंपरान्त उनके पति महेश्वर महतो ने केवाला सं0 26356, दिनांक 27.11.1971 से रकवा 49½डी0 भूमि हरिनारायण साव को बिक्री किया। हरिनारायण साव ने वर्ष 1976 को बल्लू प्रसाद यादव को भूमि बिक्री किया। इस तरह से बल्लू प्रसाद यादव रकवा 1.00ए0 भूमि का मालिकाना हक प्राप्त किया। तत्पश्चात् बल्लू प्रसाद यादव ने केवाला सं0 12006 दिनांक 11.10.1982 को रकवा 75डी0 भूमि कपिल कुमार मोहन एवं केवाला सं0 12003 दिनांक 11.10.1982 से बृज नन्दन प्रसाद सिंह को रकवा 25डी0 भूमि बिक्री किया। इस तरह अपीलकर्त्ता केवाला सं0 5552, 5553 दिनांक 13.09.2004 को कुल रकवा 1.00ए0 भूमि कपील कुमार मोहन एवं बृज नन्दन प्रसाद सिंह से खरीदकर दखलकार है। जिसका अंचल कार्यालय, चास से दाखिल खारिज सं0 4789(III)/2014–15 एवं 4791(III)/2014–15 स्वीकृत करवाकर लगातार राजस्व का भुगतान कर रहे है। अन्त में इनके द्वारा अंचल अधिकारी, चास के विविध वाद सं0 37/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 09.06.2017 को निरस्त करने का

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर |
|---|---|

सं0 563

अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष द्वारा अपना प्रतिउत्तर एवं लिखित बहस दाखिल किया गया। इनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि अंचल अधिकारी, चास द्वारा विविध वाद सं0 37/2016–17 में दिनांक 09.06.2017 को पारित आदेश विधि–सम्मत है एवं इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। मौजा जामगोड़िया, खाता नं0 52, प्लॉट नं0 72, रकवा 1.94ए0 भूमि मूलत भूतपूर्व जमींदार ज्योतिन्द्र नाथ मिश्र एवं अन्य के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज था। इनके द्वारा केवाला सं0 15795 दिनांक 16.11.1943 से सम्पूर्ण भूमि को बिक्री कर दिया गया। बाबु लाल महतो के पुत्र विपन महतो, डिप्ती महतो, हरखु महतो एवं खेदन महतो हुए, जिन्होनें केवाला सं0 3952 दिनांक 15.10.1974 से रकवा 1.44ए0 भूमि रमाकान्त त्रिपाठी को बिक्री किया, जिसका भ्रम संसोधन दलील नं0 11233 दिनांक 04.10.2014 है। तत्पश्चात् जमाबंदी सं0 60 खोला गया। रामाकान्त त्रिपाठी ने केवाला सं0 7652 दिनांक 21.12.2004 से रकवा 1.44ए0 भुमि नगीना देवी को बिक्री किया। जिसका नगीना देवी द्वारा दाखिल खारिज करवाकर दखलकार होने का उल्लेख किया गया है। इन्होने यह भी उल्लेख किया कि इसके पूर्व भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास के न्यायालय में Miss Case 24/2011 नगीना देवी के द्वारा दाखिल किया गया था, उक्त वाद में अंचल अधिकारी, चास द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में नगीना देवी को दखलकार बताया गया। द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर मकान बाउण्ड्री बनाकर दखलकार है। बल्लू प्रसाद यादव द्वारा पूर्व में ही खरीदगी भूमि को बिक्री कर दिया गया था। अंचल अधिकारी, चास द्वारा आवेदक का जमाबंदी सं0 636 एवं 637 को स्थगित किया गया है, जो सही है। अन्त में इनके द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

इस वाद में अंचल अधिकारी, चास से उनके कार्यालय पत्रांक 1913 दिनांक 15.09.2018 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजात सन् 1943 ई0 से सिलसिलेवार है एवं आवेदक का कागजात सिर्फ सन् 1972 ई0 से ही प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय पक्ष का न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास के आदेशानुसार जमाबंदी सृजन किया गया है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि उक्त भूमि द्वितीय पक्ष के पक्ष को सन् 1943 ई0 से हासिल है, जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के निर्धारित तिथि 01.01.1946 ई0 से पूर्व से है। स्थल जांच के क्रम में पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष एवं इनके विक्रेतागण को सन् 1943 ई0 से दखल–कब्जा रहा है। उक्त भूमि पर आवेदक का दखल–कब्जा नहीं रहा है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सूना। उनके द्वारा दाखिल कागजातों, लिखित बहस एवं अंचल अधिकारी, चास के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

Scanned with CamScanner

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ |
|---|---|---|
| | अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन में आवेदक का सन् 1972 ई0 से कागजात उपलब्ध होने का उल्लेख है। जबकि द्वितीय पक्ष का सन् 1943 ई0 से वर्तमान समय तक का कागजात रहने एवं दखल–कब्जा होने की पुष्टि की गई है। साथ ही द्वितीय पक्ष के जमाबंदी का सृजन इसी न्यायालय के आदेश से होने का भी उल्लेख किया गया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, चास के द्वारा विविध वाद सं0 37/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 09.06.2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम पक्ष के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।<br>लेखापित एवं संशोधित।<br>03/09/19<br>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,<br>चास।<br>03/09/19<br>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,<br>चास। | c.c.<br>16/03/20<br>c.c.<br>24/06/20<br>c.c.<br>06/07/20<br>c.c.<br>01/09/20 |

Digitally signed by Jemes Surin
Date: 2021.12.20 15:32:12 +05:30
Location: 192.168.43.124

Scanned with CamScanner